

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर बेंच

एस.बी सिविल रिट याचिका संख्या 18736/2023

1. जयवीर सिंह सोलंकी, पिता स्वर्गीय श्री चन्द्र सिंह, आयु लगभग 59 वर्ष, निवासी 4, किर्ति नगर, सोडाला, जयपुर।
2. सुरेन्द्र वशिष्ठ, पिता स्वर्गीय श्री पी.एल. शर्मा, आयु लगभग 58 वर्ष, निवासी ए-72, जय अम्बे नगर, टोंक रोड, जयपुर।
3. सुधीर जैन, पिता स्वर्गीय श्री टोडर मल जैन, आयु लगभग 56 वर्ष, निवासी 339, महावीर नगर II, महारानी फॉर्म, दुर्गापुरा, जयपुर।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
3. राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, इसके अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, विद्युत भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर।
4. सुरेश चंद मीणा, मुख्य अभियंता (पीपी एवं डी), तृतीय तल, विद्युत भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर।
5. सीताराम मीणा, अतिरिक्त मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट), आरवीपीएनएल

(डी.बी. एस.ए.डब्ल्यू /422/2024 इस मामले में दर्ज किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसी का संदर्भ लें।)

(30/05/2025 को दोपहर 02:54:34 बजे डाउनलोड किया गया)

एमएम बिल्डिंग, ओल्ड पावर हाउस कैंपस, बानी पार्क, जयपुर।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए	:	श्री करन टिबरेवाल
प्रतिवादी(यों) के लिए	:	श्री आर.एन. माथुर, वरिष्ठ अधिवक्ता, सहायक श्री शोवित झाझरिया एवं श्री आर.डी. मीणा श्री अजातशत्रु मीना, साथ में श्री मोबिल जीनवाल श्री ऐश्वरिया शर्मा श्री खुशी चिरानिया श्री उमाशंकर पांडे श्री भुवनेश शर्मा, एएजी के लिए श्री सचिन सिंह श्री एस.एस. नारूका, एएजी के लिए श्री विवेक कुमार मीणा श्री शिवा नगर

माननीय श्री जस्टिस समीर जैन

आदेश

रिपोर्टेबल

आरक्षित किया गया

19/03/2024

उच्चारित किया गया

31/05/2024

1. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की सहमति से तथा याचिकाकर्ताओं द्वारा व्यक्त की गई तात्कालिकता को दृष्टिगत रखते हुए, वर्तमान याचिका को अंतिम निपटारे हेतु लिया गया।

(डी.बी. एस.ए.डब्ल्यू /422/2024 इस मामले में दर्ज किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसी का संदर्भ लें।)

(30/05/2025 को दोपहर 02:54:34 बजे डाउनलोड किया गया)

2. याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत, निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ पेश की गई है, जैसा कि यहां पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

“(i) प्रतिवादी संख्या 3 को निर्देशित किया जाए कि वे 26.07.2022 को जारी परिपत्र के अनुसरण में वर्ष 2022-23 की रिक्तियों के लिए पुनरीक्षण डीपीसी आयोजित करें तथा उसके स्पष्टीकरण के पश्चात, याचिकाकर्ताओं को अतिरिक्त मुख्य अभियंता (ई एंड एम) के पद पर वर्ष 2022-23 की रिक्तियों के लिए पदोन्नत करें;

(ii) दिनांक 13.09.2023 (संलग्नक-11) के आदेश को, प्रतिवादी संख्या 4 की पदोन्नति की सीमा तक, प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा पारित आदेश को निरस्त और निष्प्रभावी घोषित किया जाए;

(iii) कोई अन्य उपयुक्त आदेश/राहत प्रदान किया जाए, जो इस माननीय न्यायालय को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर सही, न्यायोचित और उचित प्रतीत हो, जो याचिकाकर्ताओं के पक्ष में हो;

(iv) याचिका की लागत याचिकाकर्ताओं के पक्ष में दी जाए।”

याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुतियां:-

3. बहस के दौरान, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री करन टिबरेवाल ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान याचिका प्रतिवादियों की निष्क्रियता के कारण दायर की गई है, जो समीक्षा विभागीय पदोन्नति समिति (आगे 'समीक्षा डीपीसी') वर्ष 2022-2023 के संबंध में है। जिसके परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ताओं को अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया गया, और आगे, इस तथ्य से भी व्यथित हैं कि अनारक्षित श्रेणी के लिए निर्धारित पदों के विरुद्ध, आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को वर्ष

(डी.बी. एस.ए.डब्ल्यू /422/2024 इस मामले में दर्ज किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसी का संदर्भ लें।)

(30/05/2025 को दोपहर 02:54:34 बजे डाउनलोड किया गया)

2023-2024 के लिए मुख्य अभियंता के पद पर पदोन्नत कर लिया गया। इसका परिणाम याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध प्रतिकूल भेदभाव के रूप में हुआ है, जिससे अनजाने में उनके मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, जो भारत के संविधान में निहित हैं।

4. विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 3, अर्थात् राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के कर्मचारी हैं, जिन्होंने नियुक्ति के बाद से ही लगातार अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन किया है तथा अपने सहयोगियों और वरिष्ठ अधिकारियों की पूरी संतुष्टि प्राप्त की है। वर्तमान में, याचिकाकर्ता अतिरिक्त मुख्य अभियंता (ई एंड एम) के पद पर कार्यरत हैं।

5. इसी संदर्भ में, श्री टिबरेवाल ने तर्क दिया कि राज्य के कर्मचारियों की आरक्षण एवं पदोन्नति का विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा निर्धारित किया गया है, जैसा कि आर.के. सभरवाल बनाम पंजाब राज्य (1995) 2 एससीसी 745 में कहा गया है, जिसमें पद-आधारित आरक्षण की अवधारणा को पिछड़े वर्गों के रिक्ति-आधारित आरक्षण के विपरीत प्रस्तुत किया गया। तदनुसार, उक्त निर्णय का पालन करते हुए, प्रतिवादियों ने दिनांक 20.11.1997 को एक परिपत्र जारी किया, जिसमें राजस्थान में प्रत्यक्ष भर्ती एवं पदोन्नति हेतु आरक्षण के नियम निर्धारित किए गए। उक्त परिपत्र में, 100 बिन्दु रॉस्टर प्रणाली लागू की गई, जिसमें अनुसूचित जाति (अनुसूचित जाति), अनुसूचित जनजाति (अनुसूचित जनजाति) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (अन्य पिछड़ा वर्ग) के लिए प्रत्यक्ष भर्ती में आरक्षण का प्रावधान किया गया। आगे, दो से आठ की संवर्ग शक्ति

(डी.बी. एस.ए.डब्ल्यू /422/2024 इस मामले में दर्ज किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसी का संदर्भ लें।)

(30/05/2025 को दोपहर 02:54:34 बजे डाउनलोड किया गया)

के लिए, प्रत्यक्ष भर्ती हेतु एक पृथक आठ बिन्दु रोस्टर (एल-आकार रोस्टर) निर्धारित किया गया। इस मोड़ पर, विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि किसी भी अवस्था में आरक्षण 50% की सीमा से अधिक नहीं हो सकता, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ, एआईआर 1993 एससी 477 में निर्धारित किया गया है।

6. उपर्युक्त के अनुसरण में, विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय को अवगत कराया कि समय-समय पर प्रतिवादीगण द्वारा परिपत्र एवं उनके स्पष्टीकरण जारी किए गए, जो आरक्षण एवं पदोन्नति के विषय में कानून की स्थापित स्थिति को स्पष्ट करते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रतिवादी संख्या 3 ने राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड इंजीनियर्स सेवा विनियम 2016 (अर्थात्, 2016 के विनियम) भी जारी किए, जो प्रतिवादी संख्या 3 के तहत नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती, पदोन्नति, वरिष्ठता एवं सेवा की अन्य शर्तों के विनियमन हेतु बने हैं, जिनका परिणामस्वरूप, वे विनियम इस न्यायालय के समक्ष वादीगण पर भी लागू होते हैं।

7. उपर्युक्त में से एक ऐसा परिपत्र था, जो दिनांक 26.07.2022 को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जारी किया गया, जिसमें उक्त वर्ष के दौरान उत्पन्न रिक्तियों के लिए एक ही वर्ष में दो डीपीसी आयोजित करने का प्रावधान था। उसी वर्ष की दूसरी डीपीसी को समीक्षा डीपीसी कहा जाएगा, जिसे यह सुनिश्चित करने के लिए आयोजित किया जाएगा कि प्रशासनिक कार्य बाधित न हो और जैसे ही उक्त वर्ष में रिक्तियां उत्पन्न हों, उन्हें

(डी.बी. एस.ए.डब्ल्यू /422/2024 इस मामले में दर्ज किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसी का संदर्भ लें।)

(30/05/2025 को दोपहर 02:54:34 बजे डाउनलोड किया गया)

यथाशीघ्र भरा जा सके। इस संबंध में, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दिनांक 26.07.2022 के परिपत्र में स्पष्ट निर्देशों और कुछ कर्मचारियों के सेवा-निवृत्त होने से उत्पन्न रिक्तियों के बावजूद, प्रतिवादीगण वर्ष 2022-2023 के लिए समीक्षा डीपीसी का आयोजन करने में विफल रहे, जिसके फलस्वरूप इस न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं की पदोन्नति में विलंब हुआ।

8. श्री टिबरेवाल ने आगे तर्क किया कि दिनांक 26.07.2022 के परिपत्र के संबंध में, प्रतिवादियों ने एक स्पष्टीकरण भी जारी किया, जिसमें कहा गया कि उसी वर्ष पदोन्नत कर्मचारियों के सेवा-निवृत्त होने से उत्पन्न रिक्तियों को केवल समीक्षा डीपीसी के माध्यम से ही भरा जाना चाहिए, न कि किसी अन्य विधि से। इस बिंदु पर, विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पद पर पदोन्नति केवल योग्यता के आधार पर ही की जानी चाहिए। इसके अलावा, प्रतिवादी संख्या 2 ने इस संबंध में दिनांक 13.12.2022 को एक और स्पष्टीकरण जारी किया, जिसमें कहा गया था कि यदि उक्त योग्यता आधारित पद के लिए अनारक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, तो वह पद आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी से भरा जा सकता है, बशर्ते वह व्यक्ति प्रवेश स्तर के साथ-साथ वर्तमान में भी वरिष्ठ हो।

9. इसी संदर्भ में, विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि प्रतिवादियों ने स्वेच्छाचारी तरीके से दिनांक 13.12.2022 के स्पष्टीकरण में सम्मिलित राय का पालन केवल एक वर्ष यानी 2022-2023 के लिए किया, परंतु अगले वर्ष यानी 2023-2024 में उससे पूरी तरह से

(डी.बी. एस.ए.डब्ल्यू /422/2024 इस मामले में दर्ज किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसी का संदर्भ लें।)

(30/05/2025 को दोपहर 02:54:34 बजे डाउनलोड किया गया)

अपनी इच्छानुसार हट गए। अतः, अनारक्षित श्रेणी के लिए निर्धारित पदों पर आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को पदोन्नत करने की प्रतिवादियों की कार्रवाई स्पष्ट रूप से अवैध और अनुचित है।

10. अंत में, विद्वान अधिवक्ता ने संक्षेप में प्रस्तुत किया कि वर्ष 2022-2023 के लिए समीक्षा डीपीसी न होने के कारण, जबकि कुछ कर्मचारियों के सेवा-निवृत्त होने से वर्ष के दौरान रिक्तियां उत्पन्न हुई थीं, याचिकाकर्ताओं की अतिरिक्त मुख्य अभियंता (ई एंड एम) के पद पर पदोन्नति एक वर्ष विलंबित हो गई, क्योंकि उन्हें उक्त पद पर 2023-2024 में ही पदोन्नत किया गया। साथ ही, वर्ष 2022-2023 के दौरान उत्पन्न रिक्तियों के लिए समीक्षा डीपीसी न होने के परिणामस्वरूप, प्रतिवादियों ने मुख्य अभियंता (ई एंड एम) के लिए अनारक्षित श्रेणी के लिए चिन्हित पदों पर आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को वर्ष 2023-2024 में पदोन्नत कर दिया, जबकि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी प्रविष्टि स्तर पर वरिष्ठ नहीं थे, जैसा कि 13.12.2022 के स्पष्टीकरण में अपेक्षित था। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं को मुख्य अभियंता के पद पर पदोन्नति पाने का अधिकार तब जब वे पात्र हो जाते, उनसे वंचित कर दिया गया। अतः, कानून के विपरीत किए गए आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी की उक्त पदोन्नति को रद्द और निरस्त किया जाना चाहिए।

11. प्रस्तुत तर्कों के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्मल चंद्र भट्टाचार्य एवं अन्य बनाम भारत संघ (1991) अनुपूरक 2 एससीसी 363 और बी.एस. गौर बनाम भारत संघ एवं अन्य (2001) 9 एससीसी 706 में प्रतिपादित

(डी.बी. एस.ए.डब्ल्यू /422/2024 इस मामले में दर्ज किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसी का संदर्भ लें।)

(30/05/2025 को दोपहर 02:54:34 बजे डाउनलोड किया गया)

उक्ति पर भरोसा किया और तर्क दिया कि न्यायालय का प्राथमिक कर्तव्य उन स्पष्ट अवैधताओं को ठीक करना है जो नियोक्ता की ओर से अपने कर्तव्यों को पूरा करने में प्रशासनिक चूक के कारण उत्पन्न हो सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनके कर्मचारियों के करियर, जैसे पदोन्नति, पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

प्रतिवादियों की ओर से प्रस्तुतियाँ

12. इसके विपरीत, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ताओं ने तत्काल याचिका को खारिज करने की प्रार्थना करते हुए, इस आशय की प्रारंभिक आपत्ति उठाई कि प्रतिवादियों ने दिनांक 19.04.2022 के आदेश के तहत अधीक्षण अभियंताओं की अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की, जैसी कि 01.04.2022 को थी, जिसमें इस न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं के नाम क्रमशः क्रमांक 19, 20 और 21 पर थे, जो उक्त पद पर उनकी पदोन्नति की संगत तिथियों के कारण हैं, जो 01.07.2019, 01.08.2019 और 01.10.2019 बताई गई हैं। अधीक्षण अभियंता के पद पर याचिकाकर्ताओं की पदोन्नति की उक्त तिथियों से न्यायालय को अवगत कराने के बाद, विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि परिपत्र दिनांक के अनुसार। 31.03.2015 के अनुसार, कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए अनुभव 1 अप्रैल 2020-2021 तक का होना चाहिए। 2016 के विनियमों की अनुसूची 1 के अनुसार, अपर मुख्य अभियंता के पद पर पदोन्नति 100% योग्यता के आधार पर होती है और अधीक्षण अभियंता (ई एंड एम/सिविल/पीएलसीसी/आईटी) से अपर मुख्य अभियंता (ई एंड एम/सिविल/पीएलसीसी/आईटी) के पद पर पदोन्नति के लिए 3 वर्ष का अनुभव आवश्यक है।

(डी.बी. एस.ए.डब्ल्यू /422/2024 इस मामले में दर्ज किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसी का संदर्भ लें।)

(30/05/2025 को दोपहर 02:54:34 बजे डाउनलोड किया गया)

13. इसलिए, वर्तमान मामले के तथ्यों के अनुसार, चूंकि याचिकाकर्ताओं को 2019 के जुलाई, अगस्त और अक्टूबर महीनों में ही अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नत किया गया था, इसलिए परिणामस्वरूप, 1 अप्रैल 2022-2023 को, याचिकाकर्ताओं के पास केवल 2 वर्ष का अनुभव था और इसलिए, अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पद पर पदोन्नति से पहले 3 वर्षों का न्यूनतम अनुभव निर्धारित करने वाले 2016 के विनियमों के अनुसार, याचिकाकर्ता केवल 01.04.2022 तक 3 वर्षों का अपेक्षित अनुभव नहीं होने के कारण वर्ष 2022-2023 के लिए रिक्ति के विरुद्ध अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र/उपयुक्त नहीं थे। इसलिए, प्रतिवादियों द्वारा बिना किसी भेदभाव के स्थापित प्रक्रिया के अनुसार सख्ती से डीपीसी आयोजित की गई थी और परिणामस्वरूप, अनुभव की कमी के कारण, याचिकाकर्ता वर्ष 2022-2023 के लिए समीक्षा डीपीसी के हकदार नहीं थे। उपरोक्त के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने 2016 के विनियमन के नियम 29 पर भरोसा जताया।

14. उपर्युक्त के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवश्यक तीन वर्षों के अनुभव के अनुसार याचिकाकर्ता अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पद पर पदोन्नति के योग्य केवल वर्ष 2023-2024 की डीपीसी, जो 13.09.2023 को आयोजित की गई थी, में हुए। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ताओं को उक्त पद पर 01.04.2023 से पदोन्नत किया गया। यह भी कहा गया कि स्थापित परंपरा के अनुसार, एक ही वर्ष में दो पदोन्नतियां नहीं दी जा सकतीं। समानांतर रूप से, विद्वान अधिवक्ता ने 2016 के विनियमों के नियम

(डी.बी. एस.ए.डब्ल्यू /422/2024 इस मामले में दर्ज किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसी का संदर्भ लें।)

(30/05/2025 को दोपहर 02:54:34 बजे डाउनलोड किया गया)

7(4), 7(6) और नियम 13 पर भी भरोसा रखा और प्रस्तुत किया कि कानून के अनुसार, जिन पदों पर योग्यता के आधार पर पदोन्नति होती है, उनमें रिक्तियों को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। उसी अनुसार, कहा गया कि मुख्य अभियंता के पद पर पदोन्नति केवल योग्यता के आधार पर होती है और यदि किसी वर्ष अनारक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध न हो, तो वह पद आरक्षित अभ्यर्थी से भरा जा सकता है, क्योंकि रिक्तियाँ आगे नहीं बढ़तीं। यह भी कहा गया कि समीक्षा डीपीसी का संचालन अधिकार का विषय नहीं है, बल्कि यह केवल कुछ विशेष परिस्थितियों जैसे आकस्मिक/अचानक सेवानिवृत्ति, जिससे प्रशासनिक कार्य बाधित न हो, में किया जाता है।

15. अंततः, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि एक बार जब याचिकाकर्ताओं ने अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पद पर 01.04.2023 से पदोन्नति स्वीकार कर ली है, और उसे चुनौती नहीं दी गई है, तो ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ता विकल्प नहीं चुन सकते क्योंकि उन्हें लाभ अर्थात् बाद की पदोन्नति का आनंद तो लेने दिया जाए, लेकिन साथ ही साथ वे कथित प्रतिकूलता जैसे पदोन्नति के अनुदान में देरी को भी आरोपित करें। इस संबंध में, विद्वान वकील ने **भारत संघ बनाम एन. मुरुगेसन और अन्य (2022) 2 एससीसी 25** में प्रतिपादित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कथन पर भरोसा रखा और प्रस्तुत किया कि पूर्वगामी तथ्यात्मक मैट्रिक्स, अनुमोदन और निंदनीय के सिद्धांत के साथ-साथ एस्टोपल के सिद्धांत को भी आकर्षित करेगा।

(डी.बी. एस.ए.डब्ल्यू /422/2024 इस मामले में दर्ज किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसी का संदर्भ लें।)

(30/05/2025 को दोपहर 02:54:34 बजे डाउनलोड किया गया)

16. प्रस्तुत तर्कों के समर्थन में तथा प्रतिवादी-निगम के प्रशासन में बाधा उत्पन्न होने के कारण भारी लागत के साथ तत्काल याचिका को खारिज करने की प्रार्थना करते हुए, ओम प्रभा नेगी बनाम हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (2022) 2 एससीटी 420 (एचपी) में प्रतिपादित उक्ति पर भी भरोसा किया गया।

चर्चा एवं निष्कर्ष

17. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना और विचार किया, याचिका के अभिलेख को देखा और बार में उद्धृत निर्णयों का अवलोकन किया।

18. याचिका के अभिलेख का सावधानीपूर्वक परीक्षण करने पर निम्नलिखित विशेष बातें और/या तथ्य सामने आते हैं, जैसे कि:—

18.1 कि प्रतिवादी संख्या 3 ने आदेश दिनांक 19.04.2022 के अनुसार, अधीक्षण अभियंता (ई एंड एम) के पद के लिए अंतिम वरिष्ठता सूची तैयार की, जैसा कि 01.04.2022 को स्थिति थी। उक्त सूची में, ऊपर वर्णित याचिकाकर्ता और निजी प्रतिवादियों का स्थान निम्नलिखित क्रम में रहा:—

क्रम संख्या	एस.ई (ई एंड एम) का नाम	श्रेणी	योग्यता	जन्म तिथि	वर्ष/पदोन्नति की तिथि
3.	श्री सीता राम मीणा	एसटी	डिग्री	15.09.1973	01.04.2017

(डी.बी. एस.ए.डब्ल्यू /422/2024 इस मामले में दर्ज किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसी का संदर्भ लें।)

(30/05/2025 को दोपहर 02:54:34 बजे डाउनलोड किया गया)

19.	श्री जयवीर सिंह सोलंकी	सामान्य	डिग्री	19.12.1963	01.07.2019
20.	श्री सुरेन्द्र वशिष्ठ	सामान्य	डिग्री	15.04.1965	01.08.2019
21.	श्री सुधीर जैन	सामान्य	डिग्री	18.06.1967	01.10.2019

18.2 आदेश दिनांक 22.12.2022 (संलग्नक-9) के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा वर्ष 2022-2023 के लिए अधीक्षण अभियंता (ई एंड एम) के पद से अतिरिक्त मुख्य अभियंता (ई एंड एम) के पद पर पदोन्नति हेतु डीपीसी का आयोजन किया गया, जिसमें श्री सीता राम मीणा अर्थात् प्रतिवादी संख्या 5 को 01.04.2022 से अतिरिक्त मुख्य अभियंता (ई एंड एम) के पद पर पदोन्नति दी गई।

18.3 आदेश दिनांक 13.09.2023 (संलग्नक-10) के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा वर्ष 2023-2024 के लिए अधीक्षण अभियंता (ई एंड एम) के पद से अतिरिक्त मुख्य अभियंता (ई एंड एम) के पद पर पदोन्नति हेतु डीपीसी का आयोजन किया गया, जिसमें याचिकाकर्ताओं को 01.04.2023 से अतिरिक्त मुख्य अभियंता (ई एंड एम) के पद पर पदोन्नति दी गई।

18.4 आदेश दिनांक 13.09.2023 (संलग्नक-11) के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा अतिरिक्त मुख्य अभियंता (ई एंड एम) के पद से मुख्य अभियंता (ई एंड एम) के पद पर पदोन्नति हेतु वर्ष 2023-2024 के लिए डीपीसी का आयोजन किया गया, जिसमें श्री

(डी.बी. एस.ए.डब्ल्यू /422/2024 इस मामले में दर्ज किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसी का संदर्भ लें।)

(30/05/2025 को दोपहर 02:54:34 बजे डाउनलोड किया गया)

सुरेश चंद मीणा अर्थात् प्रतिवादी संख्या 4 को 01.04.2023 से मुख्य अभियंता (ई एंड एम) के पद पर पदोन्नति दी गई।

19. इस पृष्ठभूमि में, यह न्यायालय उपयुक्त समझता है कि निम्नलिखित मुद्दों का सूत्रीकरण किया जाए, जिनके निवारण से इस विवाद का समाधान स्वतः हो जाएगा। वे निम्नलिखित हैं: —

(i) क्या याचिकाकर्ता वर्ष **2022-2023** में अतिरिक्त मुख्य अभियंता (ई एंड एम) के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र थे?

(ii) क्या याचिकाकर्ता परिपत्र दिनांक **26.07.2022** के अनुसार समीक्षा डीपीसी के आयोजन का दावा कर सकते हैं?

20. उपरोक्त मुद्दों पर निष्कर्ष घोषित करने के लिए, यह न्यायालय उपयुक्त समझता है कि निम्नलिखित निर्विवादित तथ्यों पर ध्यान दिया जाए—

20.1 न्यायालय के समक्ष विवाद मूलतः अतिरिक्त मुख्य अभियंता (ई एंड एम) एवं मुख्य अभियंता (ई एंड एम) के पदों से संबंधित है, जो कि प्रतिवादी संख्या 3 के रोजगार में हैं।

20.2 अतिरिक्त मुख्य अभियंता (ई एंड एम) के पद के लिए कैडर स्ट्रेंथ 8 है, जबकि मुख्य अभियंता (ई एंड एम) के पद के लिए कैडर स्ट्रेंथ 4 है और इसलिए, पदोन्नति के लिए जो लागू रोस्टर है वह 8 पॉइंट रोस्टर है, जिसे 'एल' आकार का रोस्टर भी कहा जाता है। इस संदर्भ में, यह भी नोट किया गया कि परिपत्र दिनांक 20.11.1997 (संलग्नक-2) के अनुसार, कैडर स्ट्रेंथ 2 से 8 के लिए, पदोन्नतियों का निर्धारण करने हेतु 8 पॉइंट रोस्टर प्रणाली लागू की गई थी।

(डी.बी. एस.ए.डब्ल्यू /422/2024 इस मामले में दर्ज किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसी का संदर्भ लें।)

(30/05/2025 को दोपहर 02:54:34 बजे डाउनलोड किया गया)

20.3 उक्त 8 पॉइंट रोस्टर प्रणाली के लिए, परिपत्र दिनांक 20.11.1997, जो इंदिरा साहनी (सुप्रा) और आर.के. सभरवाल (सुप्रा) के निर्णय के अनुपालन में जारी किया गया था, में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि इंगित आरक्षित वर्ग द्वारा रोटेशन को, यदि संबंधित पदोन्नतियों में आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व 50% से अधिक हो जाए, तो उसे छोड़ दिया जाएगा।

20.4 उपरोक्त के समर्थन में, प्रतिवादी संख्या 2 ने भी परिपत्र दिनांक 24.06.2008 (संलग्नक- आर /2) जारी किया, जिसके क्लॉज 11.6 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि किसी भी समय आरक्षण निर्धारित सीमा 50% से अधिक नहीं होना चाहिए।

20.5 उपरोक्त के समग्र प्रकाश में यह स्पष्ट है कि आरक्षण की ऊपरी सीमा 50% है, जिसमें कोई अपवाद नहीं है।

20.6 प्रतिवादी संख्या 2 ने आगे परिपत्र दिनांक 26.07.2022 (संलग्नक-5) जारी किया, जिसके द्वारा समीक्षा डीपीसी की अवधारणा लागू की गई, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रशासनिक कार्य किसी भी समय बाधित न हो, चाहे वह कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण हो या अन्यथा।

20.7 समीक्षा डीपीसी की अवधारणा लागू किए जाने के पीछे तर्क यह था कि पदोन्नति वर्ष में केवल एक डीपीसी आयोजित होती थी और उस वर्ष के दौरान, जब वह डीपीसी पहले ही आयोजित हो चुकी होती थी, तब कुछ कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती थीं, जिससे रिक्तियां उत्पन्न हो जाती थीं, और इससे निगम/

(डी.बी. एस.ए.डब्ल्यू /422/2024 इस मामले में दर्ज किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसी का संदर्भ लें।)

(30/05/2025 को दोपहर 02:54:34 बजे डाउनलोड किया गया)

विभाग के कार्य धीमे पड़ जाते थे। अतः, समीक्षा डीपीसी का संचालन यह सुनिश्चित करने में सहायक रहा कि उक्त वर्ष के शेष अवधि में उत्पन्न हुई रिक्तियां समय से भरी जा सकें।

20.8 आदेश दिनांक 14.12.2022 (संलग्नक-6) के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 2 ने आगे यह स्पष्ट किया कि यदि कर्मचारियों का पदोन्नति हो गया है और उसी वर्ष वे सेवानिवृत्त भी हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए, समीक्षा डीपीसी की जो प्रक्रिया परिपत्र दिनांक 26.07.2022 में निर्धारित की गई है, उसका पालन करना अनिवार्य है।]

20.9 प्रतिवादी संख्या 3 ने आदेश दिनांक 22.12.2022 के अनुसार, छह अधीक्षण अभियंताओं (ई एंड एम) को अतिरिक्त मुख्य अभियंता (ई एंड एम) के पद पर पदोन्नत किया। इनमें से 6 में से 4 पदोन्नत कर्मचारी अनारक्षित श्रेणी से थे, जो डीपीसी के आयोजन से पूर्व ही सेवानिवृत्त हो चुके थे। इस संबंध में, यह नोट किया गया कि श्री गणनाथ मिश्रा, श्री महेन्द्र कुमार सक्सेना, श्री हिमांशु पांडेय और श्री विजय पाल ढाकर, जिन्हें आदेश दिनांक 22.12.2022 के अनुसार पदोन्नत किया गया था, वे पहले ही क्रमशः 31.08.2022, 30.11.2022, 31.08.2022 तथा 30.04.2022 (संलग्नक-9) को सेवानिवृत्त हो चुके थे। अतः, उनकी पदोन्नति केवल नाममात्र थी।

21. अतः, उपरोक्त स्वीकृत तथ्यों के समग्र विचार के आधार पर यह स्पष्ट रूप से सामने आता है कि प्रतिवादी संख्या 3 के अंतर्गत अतिरिक्त मुख्य अभियंता (ई एंड एम)

(डी.बी. एस.ए.डब्ल्यू /422/2024 इस मामले में दर्ज किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसी का संदर्भ लें।)

(30/05/2025 को दोपहर 02:54:34 बजे डाउनलोड किया गया)

के पद पर रिक्तियाँ डीपीसी के आयोजन से पूर्व दिसंबर 2022 के महीने में ही उत्पन्न हो चुकी थीं। अतः, जिस तिथि को श्री गणनाथ मिश्रा, श्री महेन्द्र कुमार सक्सेना, श्री हिमांशु पांडेय तथा श्री विजय पाल ढाकर को नाममात्र पदोन्नत किया गया, उस तिथि तक 4 अनारक्षित अभ्यर्थियों की रिक्तियाँ प्रतिवादी संख्या 3 के कार्यों में पहले ही उत्पन्न हो चुकी थीं। अतः, परिपत्र दिनांक 26.07.2022 (संलग्नक-5) और आगे की स्पष्टीकरण दिनांक 14.12.2022 (संलग्नक-6) के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 3 को समीक्षा डीपीसी का आयोजन करना चाहिए था। समीक्षा डीपीसी को ऐसी अनारक्षित रिक्तियों को भरने के लिए आयोजित किया जाना चाहिए था। किंतु, प्रतिवादी संख्या 3 ने ऐसा नहीं किया और इसके प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप, अधीक्षण अभियंता (ई एंड एम) के पद से अतिरिक्त मुख्य अभियंता (ई एंड एम) के पद पर वर्ष 2022-2023 के लिए याचिकाकर्ताओं का पदोन्नति हेतु प्रत्यक्ष विचार नहीं किया गया।

22. परिणामस्वरूप, उपरोक्त अनारक्षित अतिरिक्त मुख्य अभियंताओं की सेवानिवृत्ति के कारण वर्ष 2022 में रिक्तियाँ उत्पन्न होने पर समीक्षा डीपीसी आयोजित करने में विफलता और परिणामस्वरूप 13.09.2023 को डीपीसी का संचालन, अर्थात् लगभग 1 वर्ष बाद, जिसमें याचिकाकर्ताओं को विलंबित चरण में अर्थात् 01.04.2023 से पदोन्नति दी गई, प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से पूरी तरह से मनमानी, अन्यायपूर्ण और स्पष्ट रूप से अवैध कार्रवाई है।

(डी.बी. एस.ए.डब्ल्यू /422/2024 इस मामले में दर्ज किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसी का संदर्भ लें।)

(30/05/2025 को दोपहर 02:54:34 बजे डाउनलोड किया गया)

23. समीक्षा डीपीसी का आयोजन वर्ष 2022 में ही परिपत्र दिनांक 26.07.2022 के प्रकाश में किया जाना चाहिए था, जब 4 अनारक्षित अतिरिक्त मुख्य अभियंताओं की सेवानिवृत्ति हो गई थी, जिन्हें आदेश दिनांक 22.12.2022 के अनुसार केवल नाममात्र रूप से पदोन्नत किया गया था। ऐसे समीक्षा डीपीसी का आयोजन न करने की निष्क्रियता के कारण प्रतिवादी संख्या 3 ने परिपत्र दिनांक 26.07.2022 के उद्देश्य की पूर्ति करने में असफलता प्राप्त की, जिसका उद्देश्य प्रशासनिक कार्य की सरल और निर्बाध जारी रहना है।

24. इस चरण पर, यह ध्यान दिया जाता है कि प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा याचिकाकर्ताओं को वर्ष 2022-2023 में सहायक मुख्य अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए अयोग्य ठहराने संबंधी तर्क इस आधार पर किए गए हैं कि उनके पास 2016 के विनियमों के अनुसार आवश्यक 3 वर्षों का अनुभव नहीं था, लेकिन इस न्यायालय द्वारा उन तर्कों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वर्तमान याचिका याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 के विरुद्ध मंडामस की रिट के लिए दायर की गई है। समीक्षा डीपीसी के संचालन के संबंध में, परिपत्र दिनांक 26.07.2022 के अनुसार, और यह केवल तब होगा जब उक्त समीक्षा डीपीसी आयोजित की जाए, तभी याचिकाकर्ताओं की पात्रता से संबंधित मुद्दा उत्पन्न होगा। इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना केवल इस बात से संबंधित है कि समीक्षा डीपीसी का संचालन परिपत्र दिनांक 26.07.2022 और 14.12.2022 के अनुसार किया जाए, न कि प्रतिवादी संख्या 3 को याचिकाकर्ताओं को 01.04.2022 से पदोन्नति देने के निर्देश के संबंध में। अतः याचिकाकर्ताओं की पात्रता

(डी.बी. एस.ए.डब्ल्यू /422/2024 इस मामले में दर्ज किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसी का संदर्भ लें।)

(30/05/2025 को दोपहर 02:54:34 बजे डाउनलोड किया गया)

का मुद्दा केवल उस विभागीय पदोन्नति समिति के अधिकार क्षेत्र में रहेगा और इसका निर्धारण इस न्यायालय द्वारा नहीं किया जाएगा।

25. जबकि, प्रतिवादियों के वकील द्वारा एक वर्ष में दो पदोन्नति देने की गैर-अनुमति और 2016 के विनियमों के नियम 7 की प्रयोज्यता के संबंध में प्रस्तुत द्वितीयक और तृतीयक तर्कों के संबंध में, यह ध्यान दिया जाता है कि निम्नलिखित कारणों से इन्हें भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है:-

25.1 2016 के विनियमों के नियम 7 के अनुसार, मेरिट के आधार पर रिक्तियों को आगे ले जाने की व्यवस्था नहीं है। अतः, वर्तमान मामले में इसका कोई प्रासंगिकता नहीं है, क्योंकि यदि प्रतिवादी संख्या 3 ने समीक्षा डीपीसी समय पर, बिना किसी देरी के आयोजित की होती, तो याचिकाकर्ताओं को वर्ष 2022-2023 में अतिरिक्त मुख्य अभियंता (ई एंड एम) के पद पर पदोन्नति मिल जाती, बशर्ते वे पात्र होते, और परिणामस्वरूप आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए कोई रिक्तियां शेष नहीं रहतीं।

25.2 तर्तमान याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता एक वर्ष में दो पदोन्नतियां नहीं मांग रहे हैं, बल्कि वे केवल वर्ष 2022-2023 में एक पदोन्नति मांग रहे हैं, जो समीक्षा डीपीसी के आयोजन न होने और वर्ष 2023-2024 में पदोन्नति के कारण विलंबित हुई थी।

26. इस चरण पर, ऊपर दिए गए तथ्यों और निष्कर्षों के समर्थन में, यह न्यायालय उचित समझता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्मल चंद्र भट्टाचार्य (सुप्रा) में

(डी.बी. एस.ए.डब्ल्यू /422/2024 इस मामले में दर्ज किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसी का संदर्भ लें।)

(30/05/2025 को दोपहर 02:54:34 बजे डाउनलोड किया गया)

प्रतिपादित कथन पर भरोसा किया जाए, जिसका प्रासंगिक अंश यहाँ पुनरुत्पादित किया गया है:-

“3. तकनीकी रूप से न्यायाधिकरण हमारे दृष्टिकोण में सही प्रतीत होता है कि एक बार पुनर्गठन के फलस्वरूप अपीलार्थी ‘सी’ श्रेणी में रख दिए गए, वे ‘डी’ श्रेणी के लिए आरक्षित ‘सी’ पदों के विरुद्ध चयनित नहीं हो सकते। लेकिन व्यावहारिक रूप से यह इतने स्पष्ट अन्याय का परिणाम देता है कि पुनर्गठन के परिणामस्वरूप याचिकाकर्ताओं को जो लाभ मिला था, वही उन्हें उच्च श्रेणी के पद पर पदोन्नति के अवसर से वंचित कर उन्हें और अधिक नुकसान पहुँचा देता है। न्यायाधिकरण के आदेश का प्रभाव यह हुआ कि अपीलार्थियों को ‘तीन’ वर्ग के पदों से नीचे कर दिया गया, और कुछ मामलों में तो उन्हें और भी उच्च पद से नीचे कर दिया गया, चूंकि उन्हें 1983 में दूसरी पदोन्नति दी गई थी उसी पद पर वे बने रहे। कठिनाई, जो स्पष्ट रूप से सामने आती है, वह यह है कि पुनर्गठन के फलस्वरूप अपीलार्थियों को, जिस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था, ‘सी’ समूह में रख दिया गया और इस प्रकार वे पदोन्नति की उस सीढ़ी पर चढ़ने का अवसर खो बैठे, जो उन्हें ‘डी’ समूह में बने रहने पर मिल सकता था। सीधे शब्दों में, उन्नयन और पुनर्गठन के कारण अपीलार्थी उस स्थिति से और भी खराब अवस्था में पहुँच गए, जिसमें वे ‘डी’ वर्ग में बने रहते तो रहते। दूसरे शब्दों में कहें तो पुनर्गठन के कारण अपीलार्थी ‘सी’ समूह में आ गए और वे टिकट कलेक्टर के पद पर पदोन्नति नहीं पा सके, जो ‘तीन’ वर्ग में है। जबकि वे प्रतिवादी, जिन्होंने चयन में अपीलार्थियों के साथ अस्वीकृति पाई और 65% कोटा ‘डी’ समूह में नहीं आ सके जब उसका पुनर्गठन हुआ, उनके पास ‘सी’ समूह में 33 1/3% के विरुद्ध टिकट कलेक्टर के पद पर पदोन्नति का अवसर है और इससे भी आगे। इस प्रक्रिया में, जो कनिष्ठ हैं अथवा जिन्हें चयन नहीं मिला, वे अधिक वरिष्ठ और बेहतर स्थिति में आ सकते हैं, बजाय इसके कि वे ‘सी’ समूह में रखे

(डी.बी. एस.ए.डब्ल्यू /422/2024 इस मामले में दर्ज किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसी का संदर्भ लें।)

(30/05/2025 को दोपहर 02:54:34 बजे डाउनलोड किया गया)

गए। यह वास्तव में अत्यंत अनुचित होगा। कोई नियम या आदेश जो कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के लिए बनायी गई है, उसे सामान्यतः इस प्रकार नहीं समझा जाना चाहिए कि वह कठिनाई और अन्याय उत्पन्न करे, विशेषकर जब उसका क्रियान्वयन स्वतःस्फूर्त हो और यदि कोई अन्याय उत्पन्न होता है, तो न्यायालयों का मुख्य कर्तव्य होता है कि उसे इस प्रकार हल करें कि एक पक्ष को बिना किसी अकारण लाभ दिए हुए किसी अन्य को कोई हानि न हो।

4.....

5. सेवा के सिद्धांतों में से एक यह है कि कोई भी नियम किसी कर्मचारी के हित के विरुद्ध कार्य नहीं करता, जो उस तिथि से पूर्व सेवा में था। यह स्वीकार किया गया है कि जिन रिक्तियों के विरुद्ध अपीलार्थियों को पदोन्नत किया गया, वे इन पदों के पुनर्गठन से पहले उत्पन्न हो चुकी थीं। यह भी विवादित है कि विभिन्न अन्य पदों के लिए, जिन पर श्रेणी 'IV' के कर्मचारियों को पदोन्नत किया जा सकता था, वे 1 अगस्त 1983 से पूर्व भर दी गई थीं। टिकट कलेक्टरों संबंधी चयन प्रक्रिया भी 1 अगस्त 1983 से पूर्व शुरू हो गई थी। यदि विभाग ने चयन प्रक्रिया समय पर पूरी की होती और 1 अगस्त 1983 से पूर्व संपन्न कर ली होती, तो अपीलार्थी बिना किसी कठिनाई के टिकट कलेक्टर बन जाते। विभाग की कोई भी भूल या देरी, इसलिए, अपीलार्थियों के विरुद्ध स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। पुनर्गठन आदेश के पैरा 31 में भी स्वयं यह व्यवस्था है कि 31 जुलाई 1983 को विभिन्न श्रेणियों के जिन पदों में विभिन्न श्रेणियों को कवर किया गया है, उनकी रिक्तियों को उसी प्रक्रिया के अनुसार भरा जाएगा, जो 1 अगस्त 1983 से पूर्व प्रचलन में थी।“

(डी.बी. एस.ए.डब्ल्यू /422/2024 इस मामले में दर्ज किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसी का संदर्भ लें।)

(30/05/2025 को दोपहर 02:54:34 बजे डाउनलोड किया गया)

27. इसी प्रकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पी.एन. प्रेमचंद्रन बनाम केरल राज्य एवं अन्य (एआईआर 2004 एससी 255) में प्रतिपादित कथन पर भी भरोसा किया जा सकता है, जिसका प्रासंगिक अंश नीचे उद्धृत है—

“7. इसमें कोई विवाद नहीं है कि पदों को पदोन्नति द्वारा भरा जाना था। हम यह समझने में असफल हैं कि किस प्रकार, तथ्यों और इस मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी निजी प्रतिवादियों को दी गई पूर्व प्रभावशीलता के साथ पदोन्नति पर प्रश्न उठा सकते हैं। इसमें कोई विवाद नहीं है कि प्रशासनिक चूक के दृष्टिगत, विभागीय पदोन्नति समिति ने 1964 से 1980 तक कोई बैठक नहीं की। प्रतिवादीगण, केरल राज्य की प्रशासनिक चूक के कारण, उनके किसी दोष के बिना, कष्ट नहीं उठा सकते। इसमें भी विवाद नहीं है कि सामान्य रूप से वे पद पर पदोन्नति के पात्र थे, यदि विभागीय पदोन्नति समिति का गठन समय पर किया गया होता। इस दृष्टिकोण से, यह माना जाना चाहिए कि केरल राज्य ने यह सोच-समझकर निर्णय लिया कि जो कर्मचारी लंबे समय से उच्च पद पर अस्थायी रूप से कार्य कर रहे थे, लेकिन उस समय वे पात्र थे जब उनको पदोन्नत किया गया था और बाद में विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उन्हें योग्य पाया गया, उन्हें पूर्व प्रभावशीलता के साथ पदोन्नत किया जाए।”

28. यह अदालत निष्कर्षतः उचित समझती है कि प्रतिवादी संख्या-3 को यह करना चाहिए था कि वर्ष 2022 के लिए अतिरिक्त मुख्य अभियंता (ई एंड एम) के पद के लिए जो रिक्तियां मौजूद थीं, उनके लिए 26.07.2022 और 14.12.2022 की परिपत्रों का कठोरता से पालन करते हुए समय पर समीक्षा विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) आयोजित करता।

(डी.बी. एस.ए.डब्ल्यू /422/2024 इस मामले में दर्ज किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसी का संदर्भ लें।)

(30/05/2025 को दोपहर 02:54:34 बजे डाउनलोड किया गया)

29. इसलिए, अदालत उचित समझती है कि प्रतिवादी संख्या-3 को निर्देश दिया जाए कि वह 26.07.2022 की परिपत्र के अनुसरण में वर्ष 2022-2023 की रिक्तियों के लिए जल्द से जल्द समीक्षा डीपीसी आयोजित करे और यदि याचिकाकर्ता पात्र पाए जाते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त मुख्य अभियंता (ई एंड एम) के पद पर वर्ष 2022-2023 की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नत करे।

30. इसके विपरीत, यह अदालत उचित समझती है कि दिनांक 13.09.2023 का आदेश (अनुबंध-11) को रद्द और निरस्त किया जाए। प्रतिवादी संख्या-4 की पदोन्नति की सीमा तक, क्योंकि यह पदोन्नति आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए 50% आरक्षण की ऊपरी सीमा को पार कर जाएगी।

31. तदनुसार, उपरोक्त के मद्देनजर, तत्काल याचिका स्वीकार की जाती है। यदि कोई लंबित आवेदन हैं, तो उनका निपटारा किया जाता है।

(समीर जैन), जे

जेकेपी/सी-1

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी

(डी.बी. एस.ए.डब्ल्यू /422/2024 इस मामले में दर्ज किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसी का संदर्भ लें।)

(30/05/2025 को दोपहर 02:54:34 बजे डाउनलोड किया गया)

संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra
Advocate